अल्पसंख्यक छात्रावास :

अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण एवं सामाजिक-आर्थिक विकास के अधिदेश (Mandate) के परिगृह हेतु चुनौतियों का समागम करने के लिए अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के शैक्षिक सशक्तिकरण की पहल को मूर्त रूप देने के लिए वर्ष 2011–12 से निःशुल्क छात्रावास योजना आरम्भ की गयी। निःशुल्क छात्रावास योजना के तहत राज्य के समस्त सम्भागीय मुख्यालयों,जिलों में तथा 23 अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक्स (23 Blocks) पर विभिन्न चरणों में 9वीं कक्षा से उच्चतर कक्षाओं में तथा प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में उच्च शिक्षा की कोचिंग हेतु अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए अल्पसंख्यक छात्रावास स्थापित/संचालित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है।

अल्पसंख्यक मामलात विभाग का निरन्तर प्रयास है कि विभागीय स्तर पर राजकीय अल्पसंख्यक छात्रावासों के संचालन के लिए राजकीय छात्रावास भवनों का निर्माण की सख्या में सत्र दर सत्र वृद्धि की जाती रहें,ताकि स्वयं सेवी/ शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से अनुदानित अल्पसंख्यक बालक - बालिका छात्रावासों के संचालन पर निर्भरता में कमी होती रहे। वर्तमान में विभाग द्वारा तीन राजकीय अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास(मुख्यालय जयपुर,कोटा एवं जोधपुर) एवं दो राजकीय अल्पसंख्यक बालक छात्रावास(मुख्यालय बीकानेर एवं रामगढ़ ब्लॉक,अलवर) क्रियाशील हैं।

अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा वर्तमान में निःशुल्क छात्रावास योजना का संचालन दो स्तरों पर किया जा रहा है। इनमें से विभाग द्वारा स्वयं के स्तर से निर्मित छात्रावास भवनों में विभागीय अल्पसंख्यक छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। वही दूसरे स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत पात्र एवं चयनित स्वयं सेवी/ शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से भी अनुदानित अल्पसंख्यक बालक - बालिका छात्रावासों का संचालन हो रहा है।इसके लिएविभाग द्वारा स्वयं सेवी/ शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से छात्रावास संचालन के लिए संस्थाओं का चयन निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाता है । इस योजना के तहत विभाग द्वारा अल्पसंख्यक छात्रावासों में प्रवेशित प्रत्येक छात्र/छात्रा के लिये रूपये 2000/–प्रतिमाह एवं अधिकतम 9 माह 15 दिवस की अवधि हेतु खाद्यान्न एवं अन्य फुटकर व्यय के लिए अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

छात्रावास में प्रवेश के लिये चयन की प्रक्रिया

1. छात्रावास में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं के परिवार (माता-पिता) की वार्षिक आय सभी स्त्रोतों से 2,50,000/–रूपये से अधिक न हो तथा आय प्रमाण पत्र स्वयं द्वारा उद्घोषित एवं राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
2. अल्पसंख्यक समुदाय के अनाथ,विधवा व विकलांग महिलाओं की पुत्रियों को 10 प्रतिशत प्रवेश की प्राथमिकता दी जायेगी।
3. छात्रावास में प्रवेश हेतु छात्र/छात्राओं की गत परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है।
4. जो छात्र/छात्रा अध्ययन के साथ सर्विस या व्यवसाय कर रही/रहा है,उसे छात्रावास में प्रवेश नही दिया जायेगा।

छात्रावास में प्रवेश हेतु निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य हैं,जो इस प्रकार हैं:-

1. छात्र/छात्राओं का छात्रावास में प्रवेश हेतु प्रार्थना-पत्र।
2. अभिभावकों का सहमति-पत्र ।
3. मूल निवास प्रमाण-पत्र।
4. आय प्रमाण-पत्र।
5. बीपीएल प्रमाण-पत्र।
6. अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र।
7. शिक्षण संस्थान द्वारा प्रमाणित चरित्र प्रमाण- पत्र।
8. शिक्षण संस्थान का फोटोयुक्त पहचान-पत्र की प्रति।
9. गत वर्ष की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति।

छात्र/छात्राएं अपने प्रार्थना पत्र के साथ उपरोक्त सभी दस्तावेज संलग्न कर संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करने होंगे।

अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा प्रदेश में नियमित अध्यनरत अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को छात्रावास योजना का पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त हो,इसके लिए विभाग ने छात्रावास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु छात्रावास योजना के स्वरूप में कई प्रकार के संवर्धन किये हैं। क्योंकि यह व्यक्तिगत प्रत्यक्ष लाभ की योजना है। इस हेतु विभाग ने समय-समय पर छात्रावास योजना के नियमों में परिवर्तन किया है और योजना से संबंधित परिपत्र/आदेश जारी किये है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों का सहज एवं सुगम संचालन के लिए छात्रावासों के निरिक्षण की पुख्ता प्रक्रिया तय की गई है । इसके साथ- साथ संचालित छात्रावासों का वार्षिक समग्र मूल्यांकन किया जाता है। विभाग द्वारा संचालित अल्पसंख्यक छात्रावासों की मासिक समीक्षा की जाती है।